

जिला खनन कार्यालय, भोजपुर

पत्रांक 2738/एम0, दिनांक 04/07/24

सेवा में,

मेसर्स शुभ ईट उद्योग

पार्टनर— कमल प्रकाश पाण्डेय

ग्राम— बलेउर सहतवार, पोस्ट— सहतवार,

थाना — सहतवार, जिला—बलिया, यू पी

विषय:— खनन योजना (Mining Plan) अनुमोदन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि भोजपुर जिलान्तर्गत, मुफस्सिल, थानान्तर्गत मौजा/ग्राम—पुरषोत्तमपुर, खाता नं०— 33, 35, 92. खेसरा नं०—105, 114, 178, 118, 4602. रकवा 2.74 हेक्टेयर में लघु खनिज साधारण मिट्टी के खनन हेतु प्रस्तुत खनन योजना का अनुमोदन संयुक्त सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार पटना के पत्रांक—4156/एम0 पटना दिनांक—27.12.16 के आलोक में निम्न शर्तों के साथ अनुमोदन किया जा रहा है।

1. खनन योजना का अनुमोदन 5480 घन मी० प्रतिवर्ष में साधारण मिट्टी के उत्पादन हेतु अनुमान्य किया गया है।
2. साधारण मिट्टी खनन की गहराई सतह से 02 मी० से अधिक नहीं होगा।
3. खनन कार्य ग्राउन्ड वाटर लेवल से कम से कम 02 मी० उपर तक ही सीमित रखा जाएगा।
4. प्रस्तावित उत्खनन की गहराई के कम से कम आधे के बराबर चौड़ाई रखने वाले सटे मैदानों की सीमा से पटरी छोड़ दी जाएगी।
5. ईट निर्माण, पथ निर्माण, तटबंध निर्माण आदि के प्रयोजनार्थ ईट मिट्टी और साधारण मिट्टी के खनन/उत्खनन से संबंधित क्रियाकलाप में विस्फोटक का प्रयोग नहीं होगा।
6. खनन/उत्खनन संबंधी क्रिया-कलाप कार्य क्षेत्र के सामान्य जल निकासी के प्रतिरूप (पैटर्न) को परिवर्तित नहीं करेगा।
7. खोदे गए/उत्खनित गड्ढा (पिट) को परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपयोगी प्रयोजन (प्रयोजनों) के लिए पुनः स्थापित किया जाएगा।
8. खोदे गए/उत्खनित गड्ढा के चारों ओर समुचित घेराबंदी कर दी जाएगी, ताकि किसी दुर्घटना से बचा जा सके।
9. ढुलाई के दौरान खोदी गई/उत्खनित मिट्टी के फैलने से धूल उत्सर्जन को रोकने के लिए उपाय किए जाएंगे।
10. मिट्टी के खनन/उत्खनन के कारण सृजित जल निकायों में रोगवाहकों (वेक्टर) के प्रजनन के कारण स्वास्थ्य खतरों के विरुद्ध सुरक्षा मानक अपनाये जाएंगे।
11. कामगारों/मजदूरों को पेयजल और सफाई संबंधी सुविधाएँ प्रदान की जाएँगी।

12. किसी उत्खनन क्षेत्र की परिधि से किसी असैनिक संरचना की दूरी कम से कम 15 मीटर रखी जाएगी।
13. राष्ट्रीय पार्को और वन्य प्राणी अभ्यारण्य की सीमा के 1 किलो मीटर के अन्दर उत्खनन के क्षेत्र के मामले में "ईट मिट्टी" अथवा साधारण मिट्टी के खनन/उत्खनन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
14. खनन योजना में खनन कार्य बेंच बनाकर किया जाएगा जिसकी अधिकतम उँचाई 1.5 मी० एवं चौड़ाई कम से कम 3.0 मी० होनी चाहिए।
15. खनन कार्य के दौरान निकाले गये टॉप स्वायल को व्यस्थित रूप से एकत्रित कर रखा जाएगा, जिसे खनन कार्य समाप्त होने के उपरान्त उसी क्षेत्र में फँला दिया जाएगा।
16. खनन योजना में वार्णित भूमि के स्वामिस्व तथा भूस्वामियों की सहमती से संबंधित अभिलेखों की पुष्टि करा लिया जाना अपेक्षित होगा।
17. भविष्य में किसी प्रकार की कोई भी गलती खनन योजना अथवा कार्य में पाई जाएगी तो खनन योजना स्वतः निरस्त माना जाएगा।

विश्वासभाजन



सहायक निदेशक
जिला खनन कार्यालय
भोजपुर